विधानसभा/महत्वपूर्ण

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक–2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Telephone-0771-2511974, email-directorateoffood@gmail.com, website- www.khadya.cg.nic.in)

क्रमांक 252 /वि.स./2025 अटल नगर, दिनांक 21/2/2025

प्रति,

1. **प्रबंध संचालक,**
   छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन
   संघ, मर्यादित अटल नगर नवा रायपुर

2. **प्रबंध संचालक,**
   अपेक्स बैंक
   अटल नगर नवा रायपुर

3. **कलेक्टर,**
   जिला–धमतरी
   छत्तीसगढ़

विषयः– **विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1209 तारांकित द्वारा श्रीमती अंबिका मरकाम सदस्य विधानसभा।**

––00––

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1209 तारांकित की प्रति संलग्न है। उपरोक्त विधानसभा प्रश्न के उत्तर यूनिकोड फॉन्ट में पूरक जानकारी सहित दिनांक 24.02.2025 तक ई–मेल के माध्यम से भिजवाने का कष्ट करें। उत्तर के परिशिष्ट एक पेज से अधिक होने की स्थिति में सीडी अथवा ई–मेल (**dirfood.cg@nic.in/directorateoffood @gmail.com**) के माध्यम से परिशिष्ट की जानकारी यूनिकोड फॉन्ट में हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड कर सकते है)।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर
संचालनालय, नवा रायपुर

पृ.क्रमांक–253 /वि.स./2025 अटल नगर, दिनांक 21/2/2025

प्रतिलिपि :–

खाद्य अधिकारी जिला–धमतरी, छत्तीसगढ़ की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विधानसभा प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय–सीमा में संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर
संचालनालय, नवा रायपुर

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **04/03/2025**

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **11/03/2025** विभाग का नाम : **खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण**

विषय : **धमतरी जिला में कस्टम मिलिंग हेतु धान का उठाव**

(**तारांकित** प्रश्न क्रमांक : **1209**) **श्रीमतीअंबिका मरकाम**

क्या **खाद्य मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या धमतरी जिले में संचालित राईस मिलरों द्वारा वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के कस्टम मिलिंग के तहत् उठाये गये धान का चांवल पूर्ण रूप से जमा करा दिया गया है ? यदि हॉं तो , वर्षवार कुल धान उठाव एवं जमा चांवल की जानकारी देवें ? (ख) यदि नहीं तो कितने-कितने राईस मिलर्स द्वारा कुल कितनी मात्रा में कस्टम मिलिंग का चांवल जमा किया जाना शेष है ? (ग) कस्टम मिलिंग के तहत् निर्धारित समय तक चांवल जमा नहीं करने वालों पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो कारण बतायें ?

Sent From : vidhan | **Sent Date :** 21/02/2025 11:22:39 |

Remark :

विधानसभा को उत्तर भेजने की अंतिम तिथि और समय : 04/03/2025 23:59:00
उत्तर भेजने के लिए शेष समय : 11 दिन : 10 घंटे : 32 मि. : 15 से.

Reply To vidhan | Forward | Request To Vidhan Sabha

Offices Reply Detail (आपके कार्यालयों के उत्तर) :

कले धमतरी, मार्कफेड, अपेक्स बैंक